पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 208/2018

अनवान :

1. देवीलाल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
3. गोपीराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
4. पृथ्वीसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. रामपत पि0मु0 पारी जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
3. बालादेवी पुत्री रामपत जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानूप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गैरआबाद किंकराली के वर्तमान खाता सं0 122/123 के खसरा सं0 87 की 7.208 है0 बारानी व रोही घोटड़ा खालसा के वर्तमान खाता सं0 48/51 के खसरा सं0 162 की 5.716 है0 बारानी तथा रोही मौजा रामपुरा के वर्तमान खाता सं0 79/72 के खसरा सं0 7 की 10.421 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामपत पि0मु0 पारी के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी रामपत के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी रामपत प्रत्येक 1/5-1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी रामपत के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामपत प्रत्येक के नाम 1/5-1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वां)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 208/2018

अनवान :

1. देवीलाल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
3. गोपीराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
4. पृथ्वीसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. रामपत पि0मु0 पारी जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री रामपत जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
3. बालादेवी पुत्री रामपत जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घो□णात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 29.10.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गैरआबाद किंकराली के वर्तमान खाता सं0 122/123 के खसरा सं0 87 की 7.208 है0 बारानी व रोही घोटड़ा खालसा के वर्तमान खाता सं0 48/51 के खसरा सं0 162 की 5.716 है0 बारानी तथा रोही मौजा रामपुरा के वर्तमान खाता सं0 79/72 के खसरा सं0 7 की 10.421 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामपत पि0मु0 पारी के नाम से खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण की दादी पारी बेवा तखु की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण की दादी के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामपत के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज करवा ली गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम से शासित होते है। वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि में जन्म से हक अधिकारी निहित है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का वादभूमि के सम्बन्ध में पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी पतराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी रामपत के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर

वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी रामपत के बहिस्सा बराबर के अनुसा अर्थात् प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रवितादी रामपत के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी देवीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम किंकराली खाता सं0 122/123 सम्वत् 2073—76 प्रदर्श 1, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम रामपुरा खाता सं0 79/72 सम्वत् 2072—75 प्रदर्श 2, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम घोटड़ा खालसा खाता सं0 48/51 सम्वत् 2074—77 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम किंकराली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा खालसा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम रामपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादभूमि पहले वादीगण की दादी पारी बेवा तखु की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण की दादी के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामपत के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज करवा ली गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम से शासित होते है। वादीगण का दादालाई पैत्रक कृषि भूमि में जन्म से हक अधिकारी निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम किंकराली, घोटड़ा खालसा, रामपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम किंकराली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा खालसा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग ग्राम रामपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी की दादी मु0 पारी बेवा तखु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 से रामपत के वारिसान में पत्नि रूकमादेवी, चार पुत्र देवीलाल, भूपसिंह, गोपीराम, पृथ्वीसिंह व दो पुत्रियां सावित्री, बालादेवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

उपखण्ड कलक्टर (…ट्रेक) भादरा (हनु.)

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गैरआबाद किंकराली के वर्तमान खाता सं0 122/123 के खसरा सं0 87 की 7.208 है0 बारानी व रोही घोटड़ा खालसा के वर्तमान खाता सं0 48/51 के खसरा सं0 162 की 5.716 है0 बारानी तथा रोही मौजा रामपुरा के वर्तमान खाता सं0 79/72 के खसरा सं0 7 की 10.421 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामपत पि0मु0 पारी के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी रामपत के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी रामपत प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी रामपत के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामपत प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29:10:18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फारट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ